सरकारी स्कूलों में शिक्षा का होगा आकलन : जावडेकर नई दिल्ली, (वार्ता): देशभर के स्कूलों में मार्च महीने से पहली से आठवीं कक्षा के छात्रों की पढाई-लिखाई का आकलन शुरू हो जायेगा। इसके लिए सरकार मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून में इसके नियमों को शामिल करेगी। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज यहां सर्व शिक्षा अभियान को वेबसाहर शगून का उद्घारन करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने इस मौके पर दिव्यांग छात्रों के लिए एक किट का भी अनावरण किया। उन्होंने कहा कि देश के सरकारी स्कलों में प्राथमिक शिक्षा का स्तर चिंता का विषय रहा है लेकिन जब शिक्षा का अधिकार कानून बना तो उसमें पढाई-लिखाई के आकलन का कोई मानदंड तैयार नहीं किया गया था। पिछले दस साल में यह कमी थी जिसे हमने दूर करने का प्रयास किया है। इसलिए डेढ़ साल के भीतर हमने 'लर्निंग आउटकम' के मानदंड तैयार किये हैं ताकि यह पता चले कि बच्चों ने स्कूलों में पढ़ाई से क्या सीखा है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने इस मानदंड को अपनी वेबसाइट पर डाला है और जनता से 15 दिन के भीतर इस पर सुझाव भी मांगे गए हैं। उन्होंने कहा कि पढाई-लिखाई के इस आकलन में गणित और भाषा के अलावा पाठ्य पुस्तकों को पढने पर भी जोर दिया गया है।